दिनांक 19 जनवरी, 2010 (मंगलवार) को प्रातः 10.00 बजे हॉल नं. 4, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय सलाहकार समिति की प्रथम बैठक (सीएसी) के कार्यवृत्त।

बैठक में शामिल होने वाले प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक–1** में दी गई है।

सत्र–1

सीएसी का प्रथम सत्र श्री एस.बी. डोंगरे, निदेशक (एफ एवं वीपी), एफएसएसएआई द्वारा स्वागत भाषण और श्री वी.एन. गौड़, सीईओ, एफएसएसएआई के मुख्य भाषण के साथ आरंभ हुआ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपने संबोधन में, सितंबर 2008 में प्राधिकरण के गठन के बाद से इस अधिनियम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति को रेखांकित किया।

सीएसी के सदस्यों की जानकारी के लिए अनेक प्रस्तुतियां की गईं जिनमें जनादेश, शुल्क, और एफएसएसएआई के कार्यों, सीएसी की भूमिका और प्रक्रियाओं तथा इसके कार्य के दिशानिर्देशों को शामिल किया गया था। यह उल्लेख किया गया था कि एफएसएसएआई ने पहले से ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्य सुरक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा तंत्र की स्थापना के लिए एक मॉडल संरचना बनाने का संकेत दे दिया था। इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, जो जनता के लिए सुरक्षा और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा के लिए एक अलग विभाग, जो क्षमता निर्माण और केवल विभाग के कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि खाद्य निर्माताओं, संचालकों, खाद्य व्यापार प्रचालकों आदि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करेगा; बनाने की सलाह दी गई।

श्री पी. आई. सर्वरतन, अध्यक्ष ने अपने उद्घाटन भाषण में अधिनियम में कल्पित समग्र योजना में सीएसी के महत्व पर बल दिया। एक ऐसा मंच होने के नाते, जहां मंत्रालयों के प्रतिनिधि, उद्योग संघों, उपभोक्ता संगठनों के साथ–साथ देश के सभी खाद्य सुरक्षा आयुक्तों का प्रतिनिधित्व है, सीएसी एफएसएसएआई, कार्यान्वयन मशीनरी और अन्य हितधारकों के बीच एक प्रभावी अंतरफलक बन सकता है। उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि इन दिनों भोजन में अधिक से अधिक विज्ञान शामिल होने की वजह से एफएसएसएआई एक विज्ञान आधारित संगठन होने जा रहा है। अधिनियम की भावना विज्ञान और स्वच्छता के संयोजन की है। खाद्य मानकों के निर्धारण का कार्य जोखिम विश्लेषण के आधार पर एक विज्ञान आधारित अभ्यास बनने जा रहा है। पीएफए प्रणाली में अदालत में मामलों की उच्च लम्बित कतारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एफएसएस अधिनियम ने न्यायनिर्णय अधिकारियों और राज्य स्तर के अधिकरणों की प्रणाली शुरू करके इस समस्या को हल करने की कोशिश की है जिनसे मामलों के अधिकतम लोड को संभालने की उम्मीद की जा रही है। एफएसएसएआई अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की दिशा में तेजी से अग्रसरहै जिसके लिए विभिन्न नियमों और विनियमों का मसौदा तैयार किया गया है और ये परामर्श और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा और सरकार के उच्चतम स्तर पर भी अधिनियम के कार्यान्वयन पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने सीएसी और विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा आयुक्तों से राज्यों में युवा, गतिशील, सीखने के लिए उत्सुक और समर्पित अधिकारियों द्वारा संचालित खाद्य सुरक्षा विभाग के गठन की दिशा में काम करने का आह्वान किया ताकि हम एफएसएस अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों को उनकी मूल भावना में प्राप्त करने में सक्षम हो सकें।**सत्र II: पीएफए से एफएसएसए में पारगमन**

(i) श्री अशोक झा, सतगुरू प्रबंधन सलाहकार ने विभिन्न अध्यायों और उनके अधीन आवृत क्षेत्रों के सारांश को शामिल कर "पीएफए से एफएसएसएआई में पारगमन पर के लिए तैयार मसौदा एफएसएसएआई नियम और विनियम के लिए तैयार मसौद " नामक एक प्रस्तुति पेश की। नए अध्याय योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

- विनियामक ढांचे के लिए वैज्ञानिक और संरचित दृष्टिकोण
- वर्तमान और भावी विनियामक एवं वैज्ञानिक विकास के लिए उचित दिशा और स्थान
- नियमों और विनियमों का आसानी से पता लगाने की क्षमता
- नियमों और विनियमों को गतिशील, उपयोगकर्ता के अनुकूल और एक संदर्भ बिंदु के रूप में उपलब्ध बनाने के लिए डिजिटिकरण सुविधा
- राष्ट्रीय विनियामक ढांचे का आधुनिक और अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों के साथ संयोजन में मदद

किसी नए मानक का प्रस्ताव नहीं किया गया है और जहां कहीं एक ही उत्पाद के लिए एक से अधिक मानक निर्धारित हैं, वहां नवीनतम संशोधन को बनाए रखा गया है। चूंकि खाद्य कानूनों को पहली बार एकीकृत किया जा रहा है, एक वर्ष के लिए नई संरचना के कामकाज की समीक्षा की जा सकती है। और कार्यान्वयन के अनुभव के आधार पर यदि जरूरत हुई तो प्रावधानों में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है।

(ii) श्री पी. कार्तिकेयन, जेआईओ (एफ एवं वीपी), एफएसएसएआई ने मसौदा नियमों, खाद्य व्यवसायों के "लाइसेंसिंग/पंजीकरण के ढांचे, लाइसेंसिंग/पंजीकरण की प्रक्रिया और आईटी सक्षम प्रणाली को शामिल कर "लाइसेंसिंग/पंजीकरण विनियम" पर एक प्रस्तुति पेश की। यह उल्लेख किया गया था कि नई प्रस्तावित प्रणाली हैं:

- एकल खिड़की
- घटना के बाद की बजाय निवारक दृष्टिकोण,
- पारदर्शी, विज्ञान आधारित मानक और प्रक्रियाएं
- नियामक संसाधनों का भंडारण
- खाद्य व्यापार प्रचालक की जिम्मेदारी
- त्वरित न्याय

(iii) श्री एस. बी. डोंगरे, निदेशक (एफ एवं वीपी), एफएसएसएआई ने अपनी प्रस्तुति में राज्यों में स्थापित प्रवर्तन के मौजूदा ढांचे में कमियों को शामिल किया और सुझाई गई नई खाद्य सुरक्षा संरचना पर विस्तार से प्रकाश डाला जो प्रत्येक स्तर पर काम करने, बेहतर पदोन्नति के अवसर, अधिकारियों के समग्र विकास, नीति बनाने में योगदान करने या विशेष संवर्ग आदि पर ध्यान केंद्रित करती है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम के प्रवर्तन के लिए संरचना की भावना का पालन कर सकते हैं,

आवश्यकता और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अधिकारियों की संख्या और उनके स्तरों पर निर्णय लिया जा सकता है।

चर्चा:

द्वितीय सत्र में चर्चा के दौरान उभरे विचारों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है:

- यह सुझाव दिया गया था कि नमूना और प्रवर्तन की मौजूदा प्रणाली काम क्यों नहीं कर रही है इसकी पहचान करने की आवश्यकता है और कुशल कार्य सुनिश्चित करने के कुछ उपयोगी चरण निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसेः मिलावट रोधी नमूना कंटेनर, नमूने की अभिरक्षा श्रृंखला (जैसा अमेरिका ईपीए द्वारा अनुसरण किया जाता है), प्रतिनिधि नमूने, विभिन्न उत्पादों के लिए व्यक्तिपरकता को दूर करने और कम विवादास्पद बनाने के क्रम में मानक निर्धारण करने के लिए मार्केट बास्केट सर्वेक्षण प्रक्रिया की स्थापना।

- एक राय यह थी कि लाइसेंसिंग/पंजीकरण विनियमों में अधिकारियों के लिए संकेतित समय सारणी का अनुपालन केवल तभी किया जा सकता है यदि आईटी प्रणाली को शुरू से ही तैनात किया जाता है। सीईओ ने सूचित किया है कि खाद्य प्राधिकरण पहले से ही पंजीकरण/लाइसेंस प्रणाली को आईटी सक्षम करने पर काम कर रहा है।

- नमूना तंत्र के लिए सुरक्षा का पैकेज तैयार करने और प्रयोगशालाओं को उन्नत और कम्प्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है(उत्तर प्रदेश)। बताया गया कि एफएसएसएआई ने भारतीय गुणवत्ता परिषद को खाद्य प्रयोगशालाओं के अंतराल का विश्लेषण करने के लिए एक अध्ययन का कार्य सौंपा है और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को देश में उचित बुनियादी प्रयोगशाला ढांचा प्रदान करने के लिए अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य प्रयोगशालाओं की स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने में एजेंसी के साथ सहयोग करना चाहिए।

- लाइसेंस की वैधता को एक साल के लिए सीमित करना एफबीओ के लिए अनावश्यक परेशानी का नेतृत्व कर सकता है और हर साल शुल्क जमा करने के प्रावधान के साथ इसकी समय सीमा 5 साल की जा सकती है।

- लाइसेंस/पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र द्विभाषी यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होने चाहिए।

- नियमों में परिसर को जब्त करने की शक्तियों के प्रावधान को भी शामिल किया जा सकता है और एफएसओ की रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन की कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

- फिक्की के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि, (i) पारगमन पर मसौदा दस्तावेज पीएफए से एफएसएसए में परिवर्तन को विस्तृत रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता और यह बहुत सी गलत व्याख्याओं के लिए अग्रणी एक संकलन मात्र है, (ii) वहां अंतरिम व्यवस्था पर कोई स्पष्टता नहीं थी और सुझाव दिया है कि दस्तावेज की शब्दशः समीक्षा के लिए एक कार्यदल गठित किया जा सकता है (iii) एकल उत्पाद लाइसेंसिंग की बजाय लाइसेंस के लिए उत्पाद श्रेणी प्रणाली को अपनाया जा सकता है, (iv) लाइसेंस की श्रेणी के लिए आधार के रूप में उत्पादन के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाना एक बहुत पुराना तरीका हो सकता है और वर्तमान परिदृश्य में इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है (v) अगर यह हॉकरों को

भी कवर करे तो फार्म–ए जटिल प्रतीत होता है, (vi) निरीक्षण उद्देश्यों के लिए एक समान जांचसूची विकसित करने की जरूरत है, (vii) अनुसूची–4, को कोडेक्स दस्तावेज से अलग पाया गया है और इसका अनुपालन करने में उद्योग को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, (viii) नमूना, अनुसंधान एवं विकास के उद्देश्यों के लिए खाद्य वस्तुओं के आयात को लाइसेंस/पंजीकरण से छूट दी जा सकती है। अध्यक्ष, एफएसएसएआई ने उल्लेख किया है कि नियमों का दस्तावेज ज्यादातर मौजूदा पीएफए प्रावधानों को ही वहन करता है। विसंगतियों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यदि सदस्यों को किसी ऐसी त्रुटि का पता चलता है तो वे इसे एफएसएसएआई के ध्यान में ला सकते हैं। खाद्य पदार्थ चाहे उपभोग के लिए हो या अन्य प्रयोजनों के लिए, खाद्य सुरक्षा हमेशा एक प्राथमिकता बनी रहती है और इस तरह लाइसेंस/पंजीकरण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, खाद्य व्यापारों की श्रेणियों में शामिल रेलवे, नागरिक विमानन जैसे अधिक जोखिम और विशेष क्षेत्रों के लिए समुचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए इन्हें केंद्रीय लाइसेंस के दायरे में रखा गया है। एफएसओ को पहचान पत्र जारी करने के लिए प्रारूप में एकरूपता विकसित किए जाने की जरूरत है और इसे नियमों में शामिल किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश, राज्य में अभिहित अधिकारियों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले उप–प्रभागीय अधिकारियों के पास एफएसओ/डीओ के लिए निर्धारित योग्यता नहीं भी हो सकती है। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य में डिग्री में एमबीबीबी, बीएएमएस आदि शामिल हैं, (छत्तीसगढ़)। कुछ स्थानों में स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों के पास बी. फार्मा की योग्यता होती है और अभिहित अधिकारी की इस तरह की योग्यता को संशोधित किया जा सकता है।

- एक क्षेत्र में लाइसेंस/पंजीकरण की संख्या का आवश्यक एफएसओ की संख्या तय करने में एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। (आंध्र प्रदेश)

- कई नगर पालिकाएं भी खाद्य प्रतिष्ठानों के पंजीकरण में शामिल हैं और इस तरह यह एफएसएसएआई के तहत पंजीकरण और नगर पालिकाओं द्वारा पंजीकरण के दोहराव को जन्म दे सकता है। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि नगर पालिकाओं/पंचायतों के अंतर्गत काम कर रहे व्यक्ति आयुक्त के सचिवालय/खाद्य सुरक्षा के तहत काम करते हैं या नगर पालिकाओं/पंचायतों के अधीन रहेंगे। (केरल)

- समय सीमा के संबंध में, अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि एफएसएसएआई अगले 4–5 महीनों में लाइसेंस को प्रचलित करने की दिशा में काम कर रहा है और यह उम्मीद है कि इस अवधि में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक ढांचा तैयार करने की व्यवस्था कर लेंगे।

- पीएफए न्यायालय में लंबित मामलों के संदर्भ में, यह स्पष्ट किया गया था कि न्यायालय में लंबित मामलों को मौजूदा कानून के अनुसार निपटाया जाना जारी रहेगा और राज्य मामलों को निपटाने के लिए अपने संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से विशेष अदालतों या लोक अदालतों का गठन करने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं।

- कई राज्यों ने वित्तीय बाधा के बारे में चिंता प्रकट की है और राज्य में प्रणाली को मजबूत करने के लिए केंद्रीय सरकार/एफएसएसएआई की ओर से आर्थिक मदद के लिए अनुरोध किया है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि योजना अधूरी है और इस स्थिति में योजना

आयोग से कोई ताजा योजना अनुमोदित नहीं की जा सकती है। हालांकि, एफएसएसएआई मौजूदा आवंटन से 6–7 राज्यों में समर्थन (प्रत्येक क्षेत्र में एक) करने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है।

- सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश भर में सार्वजनिक कियोस्क के रूप में एक लाख सामान्य सेवा केंद्र बनाने की एक योजना की शुरूआत कर रहा है। एफएसएसएआई इस संभावना पर विचार कर सकता है कि इन्हें लाइसेंस/पंजीकरण/नमूना प्रणाली के साथ कैसे जोड़ा जाए।

- शैक्षिक संस्थानों द्वारा एफएसएसएआई की बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं और प्रयोगशाला का समर्थन करने पर विचार किया जा सकता है।

- पंजीकरण दस्तावेज में छोटे खाद्य व्यवसायियों के लिए क्या करें और क्या न करें को शामिल किया जा सकता है। एक मजबूत निगरानी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।

- इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पानी खाद्य प्रसंस्करण में बहुत महत्वपूर्ण आगत है, पेयजल मानकों की अनुपलब्धता पर चिंता व्यक्त की गई। इस संबंध में, यह स्पष्ट किया गया था कि वर्तमान में एफपीओ को पीने की योग्यता का लाइसेंस देने के लिए जल परीक्षण की आवश्यकता है। इसके अलावा, भारतीय मानक ब्यूरो के पीने योग्य पानी के मानकों की समीक्षा की जा रही है, एफएसएसएआई पीने योग्य पानी के मानकों को परिभाषित करने की संभावना पर विचार कर रहा है।

- खाद्य उत्पाद के निर्माण के लिए सामग्री के विस्तृत विवरण के बारे में जानकारी का प्रावधान संगठन में श्रमिकों की संख्या और उनके स्वास्थ्य स्थिति, को फार्म ए (एफएसएस अधिनियम, 2006 के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन) में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। (उत्तराखंड)

<u>सत्र III</u>

(iv) श्री आलोक बिसारिया, मीडिया सलाहकार ने "खाद्य विज्ञापन के लिए स्व–विनियमन का ड्राफ्ट कोड और हितधारकों के बीच खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने" पर एक प्रस्तुति पेश की। इस बात पर बल दिया गया कि बच्चे खाद्य सुरक्षा की अवधारणा के प्रचार में मशाल वाहक हो सकते हैं जो एक जागरूक, स्वस्थ नागरिक की एक पीढ़ी के लिए नेतृत्व करेंगे जो सुरक्षित भोजन और सुरक्षित भोजन प्रथाओं की मांग करेगी। यह भी उल्लेख किया गया था कि खाद्य विज्ञापन में स्व–विनियमन कोड व्यापार नैतिकता के उच्च मानकों के साथ उद्योग में आत्म अनुशासन लाने का एक प्रयास है।

(v) डॉ धीर सिंह, एडीजी (पीएफए) द्वारा "ट्रांस फैटी एसिड (टीएफए) की स्थिति" पर प्रस्तुति में, टीएफए की प्रकृति और प्रकारों व कैसे बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल के स्तर और भारतीय के साथ–साथ वैश्विक परिदृश्य के साथ उनका संबंध आदि को आवृत किया गया।

(vi) श्री अनिल मेहता, उप निदेशक, एफएसएसएआई ने "कोडेक्स कार्यक्रमों के कार्यान्वयन" पर एक प्रस्तुति पेश की, जिसमें मुख्य रूप से कोडेक्स आहार आयोग, इसके आदेश, विभिन्न कोडेक्स समितियों और कार्यदलों, विश्व व्यापार संगठन के समझौतों को आवृत किया गया था। यह भी सूचित किया गया था कि कोडेक्स बैठकों में भागीदारी और कोडेक्स मामलों के जवाब तैयार करने के लिए मसौदा

दिशा–निर्देशों को भोजन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है और भोजन प्राधिकरण में राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क बिंदु बनाया जाएगा ।

(vii) डॉ जे पी डोंगरे, विपणन अधिकारी, एफएसएसएआई ने "खाद्य सुरक्षा नियामकों के लिए क्षमता निर्माण विकास कार्यक्रम" पर एक प्रस्तुति पेश की और ऐसे कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी। प्रस्तुति के दौरान खाद्य सुरक्षा आयुक्तों के लिए प्रवर्तन प्रशिक्षण प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूलय आदि राज्यों से आवश्यक कार्रवाई, कार्यान्वयन अनुसूची, सुविधा आदि चर्चा के महत्वपूर्ण मुद्दे थे। प्रस्तावित किया गया था कि आयुक्तों के लिए प्रवर्तन कार्यक्रम फरवरी, 2010 के तीसरे सप्ताह से आयोजित किया जा सकता है और डॉस/एफएसओ के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम मार्च 2010 के तीसरे सप्ताह से शुरू किया जा सकता है।

चर्चा

सत्र तृतीय के दौरान आयोजित चर्चा के आधार पर उभरे विचारों को नीचे दिया गया है:

- प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उनके प्रभाव की सफलता के बारे में कई चिंताएं थीं, विशेष रूप से जब लोगों को प्रशिक्षण के तुरंत बाद अन्य असाइनमेंट या काम के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है ।इस संबंध में, सीईओ, एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया है कि इतने कम समय में हमें नए अधिकारी नहीं मिलने जा रहे हैं और नई नियामक व्यवस्था के लिए एक रूपांतरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रस्ताव है। खाद्य सुरक्षा संवर्ग के निर्माण पर जोर इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के किसी भी नुकसानदेह प्रभाव से बचाव को सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कार्यक्रम विकसित करने के लिए इग्नू और अन्य संस्थानों के साथ समझौते करने की गुंजाइश का भी पता लगाया जा रहा है।

- गुमराह करने वाले दावों/खाद्य विज्ञापनों को रोकने के लिए एफएसएसएआई की विधियों/क्षमता के बारे में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी कानून केवल प्रवर्तन द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जा सकता और खाद्य विज्ञापन के आत्म नियमन का प्रस्तावित मसौदा कोड खाद्य उद्योग को व्यावसायिक नैतिकता की धारा में लाने के प्रयास का एक प्रयास है। धीरे धीरे, एफएसएसएआई भ्रामक दावे/खाद्य विज्ञापनों के लिए नियम बना रहा है।

- गैर–जीएम चावल के रूप में बेचे जा रहे बासमती चावल का उदाहरण देते हुए यह उल्लेख किया गया था कि एफएसएसएआई को जीएम खाद्य पदार्थों के लिए मानक निर्धारित करना चाहिए। उपभोक्ताओं को लेबलिंग के बारे में सूचित करने के लिए सशक्त संचार रणनीति होनी चाहिए, उद्योग को ऐसे भ्रामक विज्ञापन का लाभ लेने से रोकने के लिए विज्ञापन दिए जाने चाहिए। सीईओ, एफएसएसएआई ने सूचित किया कि खाद्य प्राधिकरण पहले से ही उपभोक्ताओं तक पहुँचने के लिए अपनी मीडिया की योजना विकसित करने के लिए काम कर रहा है और राज्य सरकारों के लिए भी उपभोक्ताओं तक पहुँचने के लिए मीडिया योजना विकसित करना आवश्यक हैं। उपभोक्ताओं को शिक्षित करने में गैर–सरकारी संगठन बहुत सहायक हो सकते हैं एफएसएसएआई जीएम खाद्य पदार्थों के लिए कुछ अंतरिम संरचना लागू करने की प्रक्रिया में है और ऐसा करने तक मौजूदा जीईएसी संरचना तक जारी रहेगी।

- फिक्की के प्रतिनिधि ने नियामकों के लिए जोखिम मूल्यांकन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की जरूरत पर सुझाव दिए और उद्योग भी राज्य/केंद्र के स्तर पर इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में भागीदारी करने और प्रशिक्षक/विशेषज्ञता प्रदान कर खुश होंगे।

- विकास, निगमन आदि के प्रयोजन के लिए राज्यों में वार्षिक आधार पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की जाँच और समीक्षा पर सुझाव के संदर्भ में, यह स्पष्ट किया गया कि राज्यों के इन कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है और इनकी जाँच राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन का हिस्सा होगी।

- एक सुझाव था कि खाद्य विज्ञापन में आम बातों के अतिरिक्त अन्य संदेशों को वैज्ञानिक सबूत द्वारा समर्थित होना आवश्यक होगा और ऐसी जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध होनी चाहिए। अभ्यास खाद्य वस्तुओं में अंतर्विरोधों के मामले में भी दवाओं के लिए प्रचलित विधियों का अनुसरण किया जा सकता है

सत्र IV

(viii) सीईओ, एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा कानून के सशक्त कार्यान्वयन पर सत्र को आगे बढ़या और राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन/प्रवर्तन पर बल दिया।

- सीईओ ने दूध और दूध उत्पादों, मावा, घी आदि की मिलावट के बारे में, विशेष रूप से हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मीडिया में आई खबरों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की और राज्यों से भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए ठोस समाधान प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया।. हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों के प्रतिनिधियों ने बताया कि कृत्रिम दूध और दूध उत्पादों, घी में मिलावट की समस्या को दूर करने के लिए, विशेष रूप से त्योहारों के मौसम में विशेष अभियान चलाए गए और राज्य के तंत्र को तैयार किया गया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वे मिलावटी खाद्य की बिक्री नियंत्रित करने के लिए छापे के संचालन में सक्रिय रहे हैं। इसके अलावा मीडिया की सक्रिय भागीदारी की वजह से उपभोक्ता भी व्यापारियों द्वारा व्यापार में अपनाए जाने वाले अनुचित तरीकों के बारे में जागरूक हो रहे हैं और इसलिए दिवाली के दौरान भी मिठाई की बिक्री कम रही। इस बात का उल्लेख किया गया कि मिलावट की समस्या को रोकने में उचित संचार की कमी, विशेष रूप से गलत ब्रांड की पहचान महत्वपूर्ण है। अधिकांशतः मिलावट केवल मीडिया के लिए एक समाचार बन कर रह जाता है। कभी कभी, सरकारी अधिकारी भी मीडिया में मिलावटी ब्रांड का खुलासा करने में अनिच्छुक रहते हैं। मीडिया को विश्वास में लिया जाना चाहिए और उसे उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करने में शामिल किया जाना चाहिए, अगर समुचित जानकारी का प्रचार–प्रसार किया जाए तो उपभोक्ता अच्छी तरह से सूचित होंगे और वे ऐसे उत्पादों को नहीं खरीदेंगे।

- पीएफए अधिनियम की धारा 20 में संशोधन के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा विशेष रूप से दूध और सामान्य रूप से अन्य खाद्यों में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदम का भी एक संदर्भ आमंत्रित किया गया था और संशोधन के अनुसार अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और पुलिस अधिकारियों के लिए बिना वारंट ''गिरफ्तार करने'' की शक्तियों सहित गैर जमानती हैं।

- फिक्की का विचार था कि खाद्य सुरक्षा कानूनों का कार्यान्वयन मजबूती से होना चाहिए, लेकिन केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में मिलावट की वजह से कानून में परिवर्तन उद्योग में अवसाद उत्पन्न कर सकता है।

- एक सुझाव था कि व्यापार संघ ऐसे अवैध मिलावट में शामिल संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार कर सकते हैं।

- सुझाव दिया गया कि एफएसएसएआई वेबसाइट पर एक कड़ी हो सकती है जो ऐसे लोगों /कंपनियों की सूची/विवरण दर्शाये जो राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खाद्य अपमिश्रण और अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल रहे हैं ताकि सामान्य जनता को इस संबंध में सचेत/जानकारी युक्त रहे कि किसने मिलावट की है और वह सूचित विकल्प बना सके।

- राज्य के प्रतिनिधियों के ध्यान में लाया गया कि पीएफए के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट केवल वर्ष 2006 तक उपलब्ध है और सभी राज्यों से शेष वर्षों के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की कार्यप्रणाली पर शीघ्र जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा, कुछ संसद आश्वासनों से संबंधित राज्य सरकारों से प्रतीक्षित जानकारी भी तत्काल प्रस्तुत की जानी आवश्यक है।

(ix) डॉ धीर सिंह, एडीजी (पीएफए) ने "राज्यों में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थिति" पर एक प्रस्तुति पेश की और प्रत्येक राज्य से प्रयोगशालाओं के लिए उचित उन्नयन योजना और राज्य प्रयोगशालाओं को पर्याप्त परीक्षण सुविधाओं और जनशक्ति से लैस करने की जरूरत पर बल दिया। यह सूचित किया गया था कि खाद्य प्राधिकरण द्वारा भारतीय गुणवत्ता परिषद को राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं के अंतराल विश्लेषण का संचालन करने का कार्य पहले ही सौंप दिया गया है । हालांकि में कुछ राज्यों से उनके मौजूदा प्रयोगशाला बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी अभी भी प्रतीक्षित है।

- सभी राज्यों द्वारा एफएसएसएआई की क्यूसीआई की मदद से उन्नयन के लिए प्रयोगशालाओं की पहचान करने की पहल की सराहना की गई। जिन राज्य सरकारों से विशिष्ट प्रश्नावली में जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है उनके प्रतिनिधियों से इस प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया गया।

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से आए अभ्यागतों ने सूचित किया कि वे खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन की एक विशिष्ट योजना बना रहे हैं और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश अपनी प्रयोगशालाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए इस योजना का उपयोग कर सकते हैं।

- यह बताया गया कि यूनिडो की देखरेख में आयोजित www/labnetwork.org एक सार्वजनिक पोर्टल प्रयोगशाला के संबंध में एक आभासी सलाहकार है और मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में प्रयोगशालाओं के लिए बहुत ही उपयोगी कड़ी साबित हो सकता है

- फिक्की ने एक ही खाद्य पदार्थ के नमूने के दो अलग–अलग प्रयोगशालाओं के परिणामों में भिन्नता के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की और सुझाव दिया कि विश्लेषण और नमूनाकरण (सीसीएमएएस) के तरीकों पर कोडेक्स समिति नए अद्यतन और विश्लेषण के नए तरीकों की तलाश जारी रखेगी और इन्हें वैश्विक विकास के अनुरूप रखने के लिए विचार–विमर्श किया जा सकता है। नमूनों के विश्लेषण, अपरिपक्व डेटा के साझाकरण और विश्लेषण की विधि पर ज्ञान हस्तांतरण की मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए वेब आधारित प्रणाली पर जोर देने का भी सुझाव दिया गया था।

(X) यह सूचित किया गया था कि एफएसएस अधिनियम 2006 की धारा 94, राज्य सरकारों को एफएसएस अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत राज्य सरकार और खाद्य सुरक्षा के राज्य आयुक्तों को सौंपे गए कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पूर्व प्रकाशन और खाद्य प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के साथ कुछ मामलों पर नियम बनाने का अधिकार प्रदान करती है।

इस धारा के तहत राज्य सरकार की शक्तियों अधिनियम की धारा 30 (2) के साथ पठित आयुक्तों की नियुक्ति और एफएसएसए 2006 के तहत नियमों ओर विनियमों के अस्तित्व में आने के बाद राज्य सरकारों द्वारा उपयोग किया जा सकता है।

- सीईओ, एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में विभिन्न राज्यों में हुई प्रगति पर चर्चा की और कहा कि मौजूद सदस्यों के बीच कुछ राज्यों अर्थात् उत्तराखंड, जम्मू–कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दमन एवं दीव ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियुक्त नहीं किया है।

- इस बात की ओर इशारा किया गया था कि जो लोग पहले से ही सेवा में हैं और जिनके पास खाद्य सुरक्षा अधिकारी और मनोनीत अधिकारी के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए निर्धारित योग्यता नहीं है उन लोगों के लिए एक बचाव अनुभाग होना चाहिए।

- राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों से इस बात का ध्यान रखने का अनुरोध किया गया था कि राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों में एफएसएसए संरचना के निर्माण में तेजी लाना जरूरी हो गया था क्योंकि एफएसएसएआई द्वारा नए नियमों और विनियमों के एक बार अधिसूचित किए जाने के बाद वहाँ कोई खाली स्थान नहीं होना चाहिए। जल्दी से काम करना और तीन महीने की भी समय अवधि के भीतर लोगों को स्थिति में लाना जरूरी हो गया था।

- एफएसएस अधिनियम के संबंध में देश में सभी स्तरों पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। फिक्की ने सूचित किया है कि अगले 2–3 महीनों में वे देश के कुछ भागों में जागरूकता पर कार्यक्रम कर रहे हैं।

(xi) खाद्य प्राधिकरण सीएसी ने एफएसएसएआई द्वारा सदस्यों को परिचालित कार्य के कार्यक्रम की सिफारिश की। चर्चा के दौरान, निम्नलिखित बातें की गई थीं: –

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त, अभिहित अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों आदि की नियुक्ति के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मामले को आगे बढ़ाना चाहिए।

- उद्योग के बीच किसी भी भ्रम की स्थिति से बचने के लिए संक्रमण के लिए प्रस्तावित समय रेखा को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की जरूरत है और इस संबंध में कुछ संचार एफएसएसएआई वेबसाइट पर रखा जा सकता है।

- खाद्य योजको की रुकी हुई अनुमोदन प्रक्रिया, पर विचार करने और पीएफए के तहत लंबित सूचनाओं को त्वरित किए जाने की जरूरत है।

- एफएसएसएआई प्रयोगशालाओं के लिए प्रत्यायन प्रणाली विकसित करने और प्रयोगशालाओं के लिए नियमित रूप से प्रवीणता परीक्षण कार्यक्रम संरक्षित करने की आवश्यकता है।

समापन करते हुए, सीईओ, एफएसएसएआई ने सभी प्रतिभागियों को चर्चा और बहुमूल्य सुझावों में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया जो एफएसएसएआई के कार्यक्रम को परिष्कृत करने में बहुत उपयोगी होगी।

अनुलग्नक –1

प्रतिभागियों की सूची

दिनांक 19 जनवरी 2010 (मंगलवार) को 10.00 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली के कक्ष संख्या 4 में आयोजित केंद्रीय सलाहकार समिति की प्रथम बैठक (सीएसी) के दौरान निम्नलिखित उपस्थित थेः

मंच परः

1. श्री पी. आई. सर्वरतनअध्यक्ष, एफएसएसएआई– मुख्य अतिथि के रूप में
2. श्री वी. एन. गौड़, सीईओ, एफएसएसएआई एवं अध्यक्ष, सीएसी
3. श्री एस. बी. डोंगरे, निदेशक (एफ एंड वीपी), एफएसएसएआई
4. डॉ धीर सिंह, एडीजी (पीएफए)
5. सुश्री सुमिता मुखर्जी, निदेशक, एफएसएसएआई

सीएसी के सदस्यः

6. श्री आर के वत्स, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पश्चिम बंगाल
7. श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, प्रधान सचिव एवं आयुक्त, एफडीए, उ. प्र.
8. श्री विनोद कुमार यदुवंशी, अपर आयुक्त, एफडीए, उत्तर प्रदेश
9. डॉ (सुश्री) आशा माथुर, अपर निदेशक स्वास्थ्य, चिकित्सकीय स्वास्थ्य निदेशालय, उत्तराखंड
10. श्री सतीश गुप्ता, नियंत्रक, औषधि और खाद्य नियंत्रण संगठन, जम्मू और कश्मीर
11. डॉ के.वाई. सुल्तान, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, दमन एवं दीव।
12. श्री प्रदीप चोर्डिया, प्रबंध निदेशक, चोर्डिया फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड
13. डॉ केया घोष, प्रमुख, उपभोक्ता एकता एवं ट्रस्ट सोसायटी (सीयूटीएस),कोलकाता।
14. डॉ (सुश्री) पी सुचरिता मूर्ति, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, आंध्र प्रदेश
15. डा, मंजीत सिंह बैस निदेशक स्वास्थ्य व खाद्य एव प्रशिक्षण चंडीगढ़
16. श्री के सुब्रमण्यम, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़
17. श्री समीर बरडे, फिक्की, नई दिल्ली
18. डॉ एस. पी. वसिरेड्डी, प्रबंध निदेशक, विमता लैब्स लिमिटेड
19. प्रो गोपाल नाईक, सार्वजनिक नीति केंद्र, आईआईएम, बैंगलोर
20. श्री डी. पी. द्विवेदी, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दिल्ली।
21. श्री जे. के. नंदा, स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी, दिल्ली।
22. श्री एच. जी. कोशिया खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गुजरात
23. श्री के. के. गोयल, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, गुड़गांव, हरियाणा
24. श्री एच. एस. मलिक विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा।
25. श्री रोहित जामवाल, अतिरिक्त निदेशक, स्वास्थ्य, हिमाचल प्रदेश
26. डॉ एन सदाशिवन, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, अंडमान एवं निकोबार द्वीप।
27. डॉ नवीन गौड़, ओएसडी, खाद्य सुरक्षा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप
28. डॉ एस. एम मित्तल संयुक्त निदेशक (आर.एच.), राजस्थान
29. श्री अशोक कुमार गरगोश, लोक विश्लेषक, पंजाब
30. डॉ राकेश गुप्ता, डीडी (खाद्य), पंजाब

31. डॉ पी. सीताराम, अतिरिक्त निदेशक (जन स्वास्थ्य), उड़ीसा।

32. डॉ जे. टांगपेंग वालिंग
33. श्री के. एल. नारवरिया, संयुक्त नियंत्रक, एफडीए, मध्य प्रदेश
34. श्री सचिन लोगिनी, उप निदेशक, एफडीए, मध्य प्रदेश
35. श्री प्रकाश साबडे, आयुक्त, एफडीए, महाराष्ट्र
36. श्री वी वुमलुंमांग, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मणिपुर
37. श्री प्रमोद के. जैन, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गोवा

मंत्रालयों/विभागों से आमंत्रितः

38. श्री ए के ओझा, सहायक निदेशक (खाद्य), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
39. श्री श्रीरंजन, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
40. सुश्री कुमकुम मारवाह, संयुक्त तकनीकी सलाहकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
41. डॉ केशव मूर्ति, निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग
42. डॉ वाई सी निझावन, मुख्य निदेशक, वनस्पति निदेशालय, वनस्पति तेल एवं वसा
43. श्री पी सी जोशी, उप निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण), खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
44. कप्तान संजय गहलोत, निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
45. श्री कुमार अनिल, वैज्ञानिक–ई (निदेशक), भारतीय मानक ब्यूरो, उपभोक्ता मामलों का विभाग
46. डॉ प्रदीप कुमार साहा, उपायुक्त (फसल), कृषि एवं सहकारिता विभाग